न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः— 209/2024

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. पुकली पत्नी टीकमराम 2. खरताराम पुत्र टीकमराम 3. बस्तीराम पुत्र मगाराम 4. मृतक भुण्डाराम पुत्र मगाराम के का0मु0 4/1 पानी देवी पत्नी भुण्डाराम 4/2 डिम्पल पुत्री भुण्डाराम 4/3 हेमन्त पुत्र भुण्डाराम 4/4 प्रमिला पुत्री भुण्डाराम 4/5 जशोदा पुत्री भुण्डाराम 4/6 राधा पुत्री भुण्डाराम 4/7 निर्मल पुत्र भुण्डाराम 4/8 धनलक्ष्मी पुत्री भुण्डाराम जातिगण सीरवी निवासीगण बिलावास तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

दिनांक :— 25/08/2025

—: निर्णय :—

अधिवक्ता वादीगण ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम बिलावास तहसील सोजत में वादीगण एवम् अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है, जिसके खसरा संख्या 1662, 1663, 1664, 1665, 1668, 1669 कुल खसरा 06 कुल 1.1000 है0 हैं। उक्त वर्णित वादस्थ आराजी कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 में खातेदार भुण्डाराम, बस्तीराम पिसरान मगाराम, पुकली देवी पत्नी टीकमराम, खरताराम पुत्र टीकमराम के नाम से खातेदारी अन्य सहखातेदार के साथ ही दर्जसुदा स्थित थी। इसी जमाबन्दी में भुण्डाराम पुत्र मगाराम का फौतेदगी नामान्तरण संख्या 2456 दिनांक 05/09/2016 को वादी संख्या 4/1 से 4/8 के नाम दर्ज किया गया, जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 में दर्जसुदा है, जो सही है। तत्कालिन पटवारी हल्का के द्वारा अगली चौसाला जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 दर्ज करते समय राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण का नाम व हिस्सा को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से एवम् बिना अधिकारिता के वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी से हटा दिया गया, जो विधि विरूद्ध हटाया गया। राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 में खीवणी देवी पत्नी भैराराम, सुजाराम, घीसाराम पिसरान भैराराम, देवी पत्नी भैराराम, अजुड़ीदेवी पत्नी राजाराम, भंवरलाल पुत्र राजाराम, मुलीदेवी, शान्तिदेवी

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

पुत्रीया राजाराम, गुण्डाराम, बस्तीराम पिसरान मगाराम, पुकली देवी पत्नी टीकमराम, खरताराम पुत्र टीकमराम का 1/2 हिस्सा दर्जसुदा था। जिसमें वादीगण का भी हक हिस्सा निहित था। वादीगण के द्वारा अपना हक हिस्से की कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को कोई बेचान, हस्तान्तरण नहीं किया है, तत्कालीन पटवारी हल्का के द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी से हटा दिया गया या त्रुटिवश एवम् भूल से लिखने से रह गया है। जिसे वादीगण पुनः अपने नाम से खातेदारी हक की घोषणा करवाने के अधिकारी है तथा राजस्व रेकर्ड के अनुसार अपना हिस्सा पुनः दर्ज करवा कर रेकर्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा राजस्व वाद प्रस्तुत कर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की सादर फरमाई जावे कि सरहद ग्राम बिलावास की कृषि भूमि जो वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित की गई है की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के अनुसार दर्ज वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में माफिक हिस्सा अनुसार वादीगण का नाम पुनः जमाबन्दी चौसाला में दर्ज किया जावे एवम् जमाबन्दी में हिस्से अनुसार वादीगण का हिस्सा दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब दावा हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत द्वारा जवाब दावा पेश कर पैरा सं0 01 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा बिलावास में स्थित होना, पैरा सं0 02 से 05, 8a का जवाब प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर साबित करना तथा पैरा सं0 06, 07 व 8b कानूनी होना अंकित किया हैं।

वादग्रस्त भूमि के मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति हेतु तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत के पत्रांक/रीडर/2025/751 दिनांक 26.05.2025 के जरिये निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बिलावास के ख0नं0 1662, 1663, 1664, 1665, 1668, 1669 कुल खसरा 06 कुल रकबा 1.1000 है0 जिसमें संलग्न जमाबंदी अनुसार खातेदार दर्ज हैं। उक्त खसरे के मौका पर खसरा सं0 1662 खाली पड़ा है। उक्त खसरे के मौका पर ख0सं0 1663 गै0मु0 बेरा है तथा अन्य खसरों पर मौके पर पुकली पत्नी टीकमराम, खरताराम पुत्र टीकमराम, बस्तीराम पुत्र मगाराम तथा मृतक भुण्डाराम पुत्र मगाराम के वंशज का मौके पर कब्जा हैं, की रिपोर्ट पेश की, सा0मि0 हैं।

अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य वादी में वादीया डिम्पल पुत्री भुण्डाराम का तस्दीक सुदा शपथ पेश किया तथा बयान पी0 डब्ल्यू–1 कलमबद्ध करवाये। अपने बयानों में कहा कि ''मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है, जो शपथ पत्र मैने पढ़ सुन समझ कर सही होना स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर किये हैं। मैंने वाद पत्र के साथ वादस्थ भूमि से संबंधित दस्तावेज पेश किये हैं। वादस्थ भूमि की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074–2077 की जमाबंदी वर्तमान खाता सं0 25 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–1 है तथा वादस्थ भूमि की संवत् 2070 से 2073 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–2 हैं। मेरे द्वारा चाही गई ईश्तदुआ दिलाई जावें। जिरह प्रतिवादी – यह सही है कि जमाबंदी संवत् 2074–2077 बनाते समय वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने से रह गया था। पुनः परीक्षण शून्य रहा।

इसी प्रकार साक्ष्य वादी में अन्य वादी बस्तीराम पुत्र मगाराम के बयान पी0 डब्ल्यू–2 कलमबद्ध करवाये तथा अपने बयानों में कहा कि ''मेरे व वादीगण के नाम की कृषि भूमि ग्राम बिलावास के खसरा नंबर 1662, 1663, 1665, 1668, 1669 कुल खसरा 06 कुल रकबा 1.10 है0 आई हुई स्थित हैं। पूर्व की जमाबंदी संवत् 2070–2073 में सभी खातेदार के साथ ही हम वादीगण का नाम भी

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी

दर्ज सुदा है, लेकिन अगली चौसाला जमाबंदी संवत् 2074–2077 दर्ज करते समय हम वादीगण का नाम तत्कालीन हल्का पटवारी के भूलवश दर्ज करना रह गया। जिससे पुनः राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करवाने हेतु वाद पेश किया हैं। जिसमें चाही गई ईश्तदुआ हमे दिलाई जावें। जिरह प्रतिवादी– यह सही है कि जमाबंदी संवत् 2074–2077 बनाते समय वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने से रह गया था। अधिवक्ता वादी ओर साक्ष्य वादी पेश करना नहीं चाहने से साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत राजकीय हित प्रभावित नहीं होने से साक्ष्य प्रतिवादी पेश करना नहीं चाहते है। अतः अवसर समाप्त कर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 में खातेदार भुण्डाराम, बस्तीराम पिसरान मगाराम, पुकली देवी पत्नी टीकमराम, खरताराम पुत्र टीकमराम के नाम से खातेदारी अन्य सहखातेदार के साथ ही दर्जसुदा स्थित थी। तत्कालिन पटवारी हल्का के द्वारा अगली चौसाला जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 दर्ज करते समय राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण का नाम व हिस्सा को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से एवम् बिना अधिकारिता के वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी से हटा दिया गया। इसलिए जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के अनुसार दर्ज वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में माफिक हिस्सा अनुसार वादीगण का नाम पुनः जमाबन्दी चौसाला में दर्ज किया जावे एवम् जमाबन्दी में हिस्से अनुसार वादीगण का हिस्सा दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिनुरूप निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दावा, जवाब दावा, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट, गवाह बयानात, प्रदर्शित दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2070–73 में वादीगण सं0 1 से 3 तथा वादी सं0 4/1 से 4/8 के पति/पिता का नाम दर्जसुदा है। इसके पश्चात् आगामी चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 में वादीगण का नाम दर्ज सुदा हैं। लेकिन वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी में वादीगण का नाम बिना किसी सक्षम आदेश के सद्भाविक भूलवश हटा दिया गया। तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण का ही मौके पर कब्जा हैं। अतः पत्रावली पर दस्तावेजात, गवाह बयानात एवं तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की रही है, लेकिन सेग्रीगेशन के दौरान वर्तमान जमाबंदी बनाते वक्त सहवन वश वादीगण का नाम दर्ज करना रह गया। लिहाजा अधिवक्ता वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के अनुसार दर्ज वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में माफिक हिस्सा अनुसार वादीगण का नाम पुनः जमाबन्दी चौसाला में दर्ज किया जाना एवम् जमाबन्दी में हिस्से अनुसार वादीगण का हिस्सा दर्ज किया जाकर तदानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम बिलावास तहसील सोजत में खसरा संख्या 1662, 1663, 1664, 1665, 1668, 1669 कुल खसरा 06 कुल 1.1000 है0 की भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के अनुसार दर्ज वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर माफिक हिस्सा अनुसार वादीगण का नाम पुनः जमाबन्दी चौसाला में दर्ज किये जाने एवम् जमाबन्दी में हिस्से अनुसार वादीगण का हिस्सा दर्ज किया जाकर तदानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर, सोजत

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 25/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर, सोजत